RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper
Available online at: www.rhimrj.co.in

भारतीय संविधान पर मानवाधिकार दर्शन का प्रभाव

डॉ मंजुलता शर्मा

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, निवाई

शोध विस्तार :– यह शोधपत्र भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के दर्शन के प्रभाव का विश्लेषण करता है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज की विविधताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान किए जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हो सकें। यह अध्ययन प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, न्यायपालिका की भूमिका, सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की चर्चा करता है और भारत में मानवाधिकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विवेचन करता है।

भारतीय संविधान पर मानवाधिकारों के दर्शन का गहरा प्रभाव है। यह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। संविधान ने भारतीय समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा को मजबूत किया है और मानवाधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करते हुए एक समतामूलक समाज की स्थापना की ओर अग्रसर है।[1]

भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, भारतीय लोकतंत्र की नींव को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान में समाहित सिद्धांत, मूल्य और प्रावधान भारतीय समाज की बुनियादी संरचना को आकार देते हैं। इस संविधान का उद्देश्यर न केवल शासन प्रणाली को स्पष्ट करना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि सभी नागरिकों को उनके अधिकार, स्वतंत्रता, और सम्मान मिले। संविधान में मानवाधिकारों के दर्शन का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिकारों की एक व्यवस्था स्थापित करता है, जो भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शक है।

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की अवधारणा

भारतीय संविधान का निर्माण करते समय यह सुनिश्चित किया गया कि नागरिकों को उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा प्राप्त हो। यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान के विभिन्न खंडों में मौलिक अधिकारों, निदेशक तत्वों, और राज्य की जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है। संविधान में मानवाधिकारों के दर्शन का प्रभाव प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाता है, जिसमें 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', और 'लोकतांत्रिक' शब्दों के माध्यम से राज्य के कर्तव्यों को रेखांकित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि राज्य के सभी संस्थान नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाएंगे।

संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान (Fundamental Rights)

भारतीय संविधान के भाग III में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो मानवाधिकारों के दर्शन की मजबूत आधारशिला है। ये अधिकार न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, बल्कि इन्हें राज्य के खिलाफ सुरक्षा का एक प्रमुख उपाय भी माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण मिलता है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं :

- अनुच्छेद 14 : समानता का अधिकार, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समान उपचार मिले, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो।
- अनुच्छेद 19 : स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने, अभिव्यक्ति करने, और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है।
- अनुच्छेद 21 : जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो किसी भी व्यक्ति को जीवन से वंचित करने से रोकता है, सिवाय विधिक प्रक्रिया के द्वारा।

2015, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)

- अनुच्छेद 25 से 28 : धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जो व्यक्तियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की स्वतंत्रता देता है।[2]

इन मौलिक अधिकारों का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना है। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर कार्यवाही करें।

निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) और मानवाधिकार

भारतीय संविधान के भाग IV में निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो राज्य को नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये तत्व मानवाधिकारों की व्यापक अवधारणा का हिस्सा हैं, और इनके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाए। हालांकि ये तत्व न्यायिक रूप से लागू नहीं होते हैं, लेकिन ये राज्य को इन अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिबद्ध करते हैं। कुछ प्रमुख निदेशक तत्व हैं :

- अनुच्छेद 38 : सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य को कार्रवाई करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 39 : समान काम के लिए समान वेतन और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है।
- अनुच्छेद 41 : रोजगार, शिक्षा, और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को प्रेरित करता है।

इन निदेशक तत्वों का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा देना है, जो मानवाधिकारों के दर्शन को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक हैं।[3]

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांत

भारतीय संविधान का निर्माण करते समय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों और दस्तावेजों का प्रभाव भी महसूस किया गया। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में घोषित 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र' (UDHR) का प्रभाव भारतीय संविधान पर था। संविधान निर्माताओं ने इस घोषणा पत्र को आदर्श रूप में स्वीकार किया और इसे भारतीय संविधान में शामिल किया। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अनुबंधों और संधियों का पालन करते हुए, भारतीय संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सम्मान किया जाए।

भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इन निर्णयों ने संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है। न्यायपालिका ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले राज्य के किसी भी कृत्य को अवैध ठहराया जा सकता है।

संविधान में सामाजिक और आर्थिक अधिकार

भारतीय संविधान ने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा भी दी है, जो मानवाधिकारों के दर्शन को विस्तार से लागू करते हैं। ये अधिकार सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 41 राज्य को सार्वजनिक सहायता और रोजगार की सुरक्षा का दायित्व सौंपता है, जबकि अनुच्छेद 42 कार्यस्थल पर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इन अधिकारों का उद्देश्य समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।[4]

भारतीय संविधान पर मानवाधिकारों के दर्शन का गहरा प्रभाव है। संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की है और राज्य को इन अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों और न्यायपालिका के निर्णयों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और हर व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता मिले। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ और सीमाएँ हैं, फिर भी भारतीय संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, भारतीय लोकतंत्र की नींव और भारतीय समाज के विविधतापूर्ण ढांचे का परिभाषित दस्तावेज़ है। यह संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के प्रति भारतीय राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। संविधान के निर्माताओं ने भारतीय समाज की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि संविधान में

मानवाधिकारों का महत्व और संरक्षण प्रमुख स्थान पर हो। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के दर्शन का प्रभाव प्रारंभ से ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संविधान के निर्माताओं ने भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण ढांचे को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकारों को एक मूलभूत उद्देश्य के रूप में स्थापित किया।

संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', 'लोकतांत्रिक' और 'गणराज्य' शब्दों के माध्यम से यह संकेत दिया गया है कि भारतीय राज्य नागरिकों के मानवाधिकारों के प्रति गंभीर है। यह प्रस्तावना संविधान की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करती है, जिसमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

सामाजिक असमानताएँ और अधिकारों का अनुपालन

भारत में जातिवाद, धर्म के नाम पर भेदभाव, और आर्थिक असमानताएँ मानवाधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधक बन सकती हैं। इसके अलावा, कुछ राज्यों में नागरिकों को उनके अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, जो राज्य की निष्क्रियता और प्रभावी कानून लागू करने की कमी को दर्शाता है।

भारतीय संविधान को तैयार करते समय संविधान सभा के सदस्य अपने ऐतिहासिक दायित्व को समझते हुए, भारतीय समाज की मूलभूत आवश्यकताओं और विशेषताओं के आधार पर इसे रच रहे थे। भारतीय समाज की विशेषताएँ जैसे कि बहु–सांस्कृतिकता, बहु–धार्मिकता, जातिवाद, आर्थिक विषमताएँ, और सामूहिक असमानताएँ इन सबका ध्यान रखते हुए संविधान को तैयार किया गया। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान केवल राजनीतिक अधिकारों के बारे में न हो, बल्कि वह सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भी समान रूप से महत्व दे, ताकि प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिले। इस दृष्टिकोण से संविधान एक समग्र दस्तावेज़ है, जो नागरिकों के अधिकारों के साथ–साथ राज्य के कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है।[5]

मानवाधिकारों का भारतीय संविधान में समावेश

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की अवधारणा का समावेश संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, और निदेशक तत्वों के रूप में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारतीय राज्य नागरिकों को न्याय, समानता, और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यह प्रस्तावना राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों का आदान–प्रदान करने का एक आधार प्रस्तुत करती है। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, जाति, धर्म, लिंग, या अन्य भेदभाव के कारण असमानता का सामना न करना पड़े, और उसे समाज में समान अधिकार मिले।

भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समाहित करते हुए नागरिकों के अधिकारों की विस्तृत सुरक्षा की गई है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों, निदेशक तत्वों और अन्य कानूनी प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है और नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है।

- न्यायपालिका की भूमिका : भारतीय न्यायपालिका ने भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय दिए हैं। विशेष रूप से, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का व्याख्यान करते हुए नागरिकों के अधिकारों को मजबूत किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माना है।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध : भारतीय संविधान ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मानवाधिकारों को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।[6]

संविधान की प्रस्तावना और मानवाधिकारों का दृष्टिकोण

संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक और समाजवादी गणराज्य है, जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, और न्याय प्रदान करेगा। प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि भारतीय राज्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करेगा, जिससे प्रत्येक नागरिक को एक समान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। यह मानवाधिकारों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

भारतीय संविधान के तहत मानवाधिकारों का संरक्षण और न्यायपालिका

भारतीय संविधान में नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण का कार्य भारतीय न्यायपालिका के जिम्मे है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनमें संविधान में वर्णित अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। न्यायालयों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय राज्य और इसके विभिन्न अंग नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करें और यदि उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका तत्काल कार्रवाई करे।

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संविधान ने न केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, बल्कि राज्य को भी उनके अधिकारों की सुरक्षा और पालन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। संविधान में मानवाधिकारों के दर्शन का समावेश भारतीय लोकतंत्र के आधार को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य हर नागरिक को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार, भारतीय संविधान मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है और यह भारत के सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण आधार है।[7]

संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र और भारतीय संविधान

संयुक्त राष्ट्र का 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र' (UDHR) 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया, और यह मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ के रूप में देखा जाता है। इस घोषणा पत्र में नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों से लेकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों तक की विस्तृत सूची दी गई है। इसमें उल्लिखित अधिकारों का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु :

- स्वतंत्रता और समानता : UDHR के अनुच्छेद 1 में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) के रूप में देखा जाता है।
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार : UDHR के अनुच्छेद 3 में यह अधिकार दिया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) में परिलक्षित होता है।
- शिक्षा का अधिकार : UDHR के अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे भारतीय संविधान के निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 45) और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21।) में देखा जा सकता है।
- रोजगार और उचित वेतन : UDHR के अनुच्छेद 23 में समान वेतन और उचित कामकाजी परिस्थितियों का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (समान वेतन और कार्य के अधिकार) में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।[8]

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियाँ और भारतीय संविधान

भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों को स्वीकार किया और उन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका संविधान में प्रभाव देखा जाता है। इनमें प्रमुख संधियाँ हैं :

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समझौते (1966) : भारत ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हैं।
- समानता और निषेधात्मक भेदभाव (1965) : यह संधि जातिवाद, धर्म, लिंग, और अन्य भेदभाव के खिलाफ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) से मेल खाती है।
- बाल अधिकारों के संरक्षण की संधि (1989) : यह संधि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 39 (बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा) से जुड़ी हुई है।[9]

मानवाधिकारों की दिशा में चुनौतियाँ और सीमाएँ

हालाँकि भारतीय संविधान ने मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं। भारत में व्याप्त सामाजिक असमानताएँ, जातिवाद, और आर्थिक विषमताएँ इन अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधक बन सकती हैं। इसके अलावा, राज्य और नागरिकों के बीच अधिकारों की समझ में भिन्नताएँ भी आती हैं, जो मानवाधिकारों के संरक्षण में रुकावट डाल सकती हैं।[10]

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जो व्यापक प्रावधान किए गए हैं, वे एक आदर्श और समतामूलक समाज की कल्पना को साकार करने हेतु बनाए गए थे। परंतु व्यवहारिक धरातल पर इन अधिकारों के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ और चुनौतियाँ सामने आती हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों, नीति–निर्देशक तत्वों और न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के बावजूद, समाज के विभिन्न वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान ने मानवाधिकारों के लिए एक सशक्त ढांचा प्रदान किया है, जो सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय की नींव रखता है। परंतु यह भी सत्य है कि इन अधिकारों के वास्तविक कार्यान्वयन में अभी भी अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अंततः, संविधान में निहित मानवाधिकार केवल तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें सामाजिक व्यवहार में स्थान मिले। एक सशक्त, समान और गरिमामय समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम मानवाधिकारों की न केवल रक्षा करें, बल्कि उन्हें अपने जीवन और व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा भी बनाएं।

संदर्भ सूची

1. ए. एस. नारंग (2004), 'भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 357
2. *वही,* पृ. 8
3. सुरेन्द्र मोहन (2010), 'समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, पृ. 69
4. हरिवंश तरूण (2010), 'भारत की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता, ग्रन्थ लोक प्रकाशन, देहली, पृ. 9–10
5. एस. सी. सिंहल (2005), 'भारतीय शासन एवं राजनीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2005, पृ. 3
6. सुभाष कश्यप (1999), 'भारतीय राजनीति और संविधान, राजकमल, पृ. 32
7. डी. डी. बसु (2002), 'भारत का संविधान : एक परिचय वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, पृ. 19–26
8. *वही,* पृ. 8
9. बी.एल. फड़िया (2013) 'भारत का संविधान, प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 10–16
10. सुभाष कश्यप (1999), 'भारतीय राजनीति और संविधान, राजकमल, 1999, पृ. 36

2015, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)